

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर एवं अति.जिला  
मजिस्ट्रेट-प्रथम, जयपुर

परिवाद संख्या: 18/2024

GCMS No:- 2024/123

सरकार जरिये राजेश कुमार नागर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय।

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री राहुल सखरानी पुत्र श्री किशोर कुमार सखरानी (विक्रेता)

मैसर्स के.सी.ब्रदर्स

जी-166, और 167 हीरावाला इण्डस्ट्रीयल एरिया, रोड नंबर 5,

कानोता, जयपुर। पुलिस थाना कानोता, जयपुर।

2. श्री किशोर कुमार सखरानी (मालिक)

मैसर्स साईनाथ बैकरी

मैसर्स के.सी.ब्रदर्स

जी-166, और 167 हीरावाला इण्डस्ट्रीयल एरिया, रोड नंबर 5,

कानोता, जयपुर। 303012

निवासी प्लॉट नंबर 5, माधोविलास पुलिया, कृष्णा नगर, त्रिपोलिया बाजार जयपुर। 302002



... अप्रार्थी-अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2)

एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक: 05/12/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.05.2024 को दोपहर 04.00 पी.एम. पर मैसर्स के.सी.ब्रदर्स जी-166, 167 हीरावाला इण्ड0 एरिया रोड नंबर 5 कानोता जयपुर पर पहुंचा। वहां पर श्री राहुल सखरानी पुत्र श्री किशोर सखरानी उपस्थित थे। वहां पर श्री राहुल सखरानी पुत्र श्री किशोर कुमार सखरानी उपस्थित थे। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री राहुल सखरानी ने स्वयं को फर्म का विक्रेता होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री राहुल सखरानी से वर्ष 2024 का खाद्य पदार्थ विक्रय पत्र अनुज्ञा पत्र मांगा इन्होंने मौके पर फर्म का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र, जीएसटी की आरसी, एवं स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रतियां प्रस्तुत की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमकीन फैंक्ट्री का निरीक्षण करने पर परिसर में रखे नमकीन फ्राईंग मशीन में लगभग 100 किलोग्राम यूज्ड कूकिंग ऑयल (पाम आयल) रखा हुआ था, जो कि नमकीन फ्राई करने एवं आम जनता को उपयोग/विक्रय हेतु रखा हुआ था जिसमें गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 1600 ग्राम यूज्ड कूकिंग ऑयल (पाम ऑयल) खरीदकर उसकी कीमत 173/- रुपये विक्रेता को अदा कर रसीद प्राप्त की। रसीद पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान श्री समरजीत दास बाबू एवं रमेश चन्द यादव के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। यह रसीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)  
जयपुर

संख्या 5ए की प्रतियां तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान ने भी पढकर, समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 एक की प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा यूज्ड कूकिंग ऑयल (पाम ऑयल) को एकरूप कर चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक के जार विक्रेता एवं गवाहान को दिखाकर उक्त खरीदशुदा यूज्ड कूकिंग ऑयल (पाम ऑयल) को प्रत्येक जार में बराबर-बराबर डाला एवं प्रत्येक जार पर लेबल लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया। लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं क्रमांक AN-4128 दर्ज कया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारो नमूना भागो को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नंबर AN-4128 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से उपर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि हस्ताक्षर पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नंबर 6 की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के पत्र क्रमांक 646 दिनांक 21.06.2024 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/2209/एक्ट/2024/2274 दिनांक 13.06.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ यूज्ड कूकिंग ऑयल (पाम ऑयल) सबस्टैण्डर्ड पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समस्त मूल पत्रावली को अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की तथा श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/1525 दिनांक 08.11.2024 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। जिसकी अनुपालना में परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया है कि सबस्टैण्डर्ड यूज्ड कूकिंग ऑयल (पाम ऑयल) का विक्रय/निर्माण करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(2) का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी



आयुष्य अतिरिक्त कलक्टर (प्रभु)  
जयपुर

को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे। प्रार्थी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी (अभियुक्त) को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी/अभियुक्त को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित आये एवं जवाब पेश किया जो शामिल मिसल रहे। पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी। उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।



पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। बहस प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ यूज्ड कूकिंग ऑयल (पाम ऑयल) का विक्रय करके अप्रार्थीगणों ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2(2)का 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि जांच रिपोर्ट को देखने से ऐसी कोई मिलावट होना नहीं पाया गया है, जिससे आम जनता को हानिकारक हो। अप्रार्थी ने अपने स्तर पर कोई मिलावट नहीं की है। नमूनीकरण के समय अप्रार्थी के पिता कैंसर रोग से पीडित होने के कारण फैक्ट्री में उपस्थित नहीं होने के कारण तेल की प्रकृति त्रुटि से प्रयुक्त किये जा रहे कॉटन सीड के स्थान पर पॉम ऑयल अवगत करा दिया उक्त नमूने की कॉटन सीड तेल के मानको पर सही रिपोर्ट है। इसलिए परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाकर अप्रार्थी के विरुद्ध शास्ति माफ करने की कृपा करें एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जावे।

पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया। प्रस्तुत दलील पर गौर किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी-अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ यूज्ड कूकिंग ऑयल (पाम ऑयल) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ यूज्ड कूकिंग ऑयल (पाम ऑयल) सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये हैं, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी-अभियुक्त पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अपराध कारित होने पर शास्ती राशि रु 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रुपये) लगाई जाती है। अप्रार्थी-अभियुक्त जुर्माना राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड में 15 दिवस की अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

( विनिता सिंह )

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अति.कलक्टर एवं अति.जिला  
मजिस्ट्रेट-प्रथम जयपुर